फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती तमन्नाबानू बनाम हनीफखां (वगैरा)

न मुकदमा प्रा. पत्र 111-128 नं0 122 सन 2021

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.10.21 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल	
17/11/21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान ग्राम सेतोकपुरा मे पेश हुई, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए एवं पटवार हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल [illegible] होकर नम्बर से कम हो। अप्रार्थी [illegible] हनीफखां पठान अधिवक्ता ने अधिकार पत्र पेश किया जिसने सहमति जाहिर की गई। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	No objection 17-11-21

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:47:33 IST
Reason: SelfAttested

यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

ीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मा संख्या :- 122/21 प्रा. पत्र

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

ीमती तमन्नाबानू पत्नी श्री मुबारिक खां पठान निवासी- लालखांजी का खेड़ा तहसील- मांडल (भीलवाड़ा) --प्रार्थी

बनाम

ी हनीफ खां s/o श्री हमीद खां पठान निवासी - लालखांजी का खेड़ा त० मांडल (भील०)
--विपक्षीगण
(मुख्तांकित प्रा पत्र सलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक 17.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर ान किया कि ग्राम लालखांजी का खेड़ा ......पटवार हल्का सतोकपुरा ....तहसील मांडल/में उसके /संयुक्त खातों की आराजी नं. सलंग्नित फिल्ड पर अंकित ....कुल किता ......11...... ा.......1.3272.......हेक्टेयर— ....स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी ायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते ुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक......14.9.21..........को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को ोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का कारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेशा तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक न्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लालखांजी का र हल्का सतोकपुरा ....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. सलंग्नित फिल्ड पर अंकित ....कुल किता ......11...... रकबा 1.3272 ......हेक्टेयर...... े चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी ...ने का आदेश दिया जाता है । ढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक......... ..../- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथा स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील ो आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गढ़ी नहीं की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:47:33 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखंड अधिकारी मांडल